

Area of Binjhari Wasshery VILLAGE –DIPKA

A.C.B LAND

s.no	Khasaara no	Area in hectares
1	313/1	0.559
2	313/2	0.170
3	314/1	0.178
4	314/2	0.040
5	314/3	0.266
6	314/19	0.081
7	314/5	0.178
8	314/6	0.154
9	314/7	0.308
10	314/8	0.259
11	314/9	0.162
12	314/10	0.182
13	314/11	0.146
14	314/13	0.235
15	314/14	0.445
16	314/15	0.081
17	314/16	0.065
18	315/1	0.506
19	315/2	0.162
20	317	0.057
21	318	0.198
22	319/1	0.138
23	319/2	0.040
24	319/3	0.162
25	319/4	0.065
26	319/5	0.154
27	320/1	0.142
28	320/2	0.142
29	324/2	0.210
30	328	0.073
31	329/1	0.053
32	329/2	0.077
33	329/3	0.081
34	329/4	0.073
35	330/1,2,3	0.101
36	335/6	0.016
37	569	0.174
38	570/2	0.049
39	570/3	0.134
40	570/4	0.283
41	571	0.065

Undiverted

Undiverted

Undiverted

Undiverted.

TOTAL AREA 6.664 He.

अदालत श्री जे.पी. सिंह विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
(परिवर्तित भूमि पर पुनर्निर्धारण, प्रव्याजि तथा जुर्माना का सूचना-पत्र)

नोटिस प्रपत्र "बी"

ज.पी. सिंह (इष्टिया विविटेड) बनाम
श्री सुभराम जाट आत्मज दीपका निवासी ग्राम दीपका
पट. ह. नं. 31 तहसील कटघोड़ा जिला कोटा

(1) आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि पर गैर-काश्तकारी उपयोग में लाये जाने के कारण राजस्व मायानु
रफ्तार-37/सीट-1/2014, 2000 को बांसा राजस्व रखकर आपदा पूर्व के जमाने में
क्रमांक 30/2014 के अंतर्गत कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी विभाग रायपुर के आदेश दिनांक 11-4-2014 के
अनुसार निम्नलिखित पुनर्निर्धारण (जमा) निर्धारण किया गया है :-

नाम ग्राम मय बन्दोबस्त नम्बर व. ह. नं.	खसरा नम्बर सर्वे-नम्बर- प्लसट-नम्बर	परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल	अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया संशोधित पुनर्निर्धारण (जमा)
ग्राम दीपका	416/46 0-026	329/2 0-077	पुनर्निर्धारण- 53854=00
प. ह. नं. 31	228/14 0-040	329/3 0-081	पर्यावरण उपकरण- 2993=00
तहसील	228/10 0-020	328 0-073	कटघोड़ा विभाग- 2993=00
कटघोड़ा	228/5 0-040	329/4 0-073	प्रीमियम- 463540=00
	228/6 0-020	330/1 0-024	529380=00
	228/7 0-020	330/2 0-069	
	228/8 0-040	330/3 0-008	
	228/9 0-032	428/1 0-065	
	228/11 0-020	428/2 0-061	
	228/12 0-020	428/3 0-081	
	228/13 0-121	429/2 0-073	
	228/14 0-020	569 0-065	
	227/3 0-069	570/1 0-283	
	228/3 0-009	570/2 0-049	
	420/2 0-032	571- 0-065	
	313/1 0-559	414/1 0-020	
	314/3 0-266	414/2 0-016	
	314/5 0-178	414/3 0-101	
	314/7 0-308	422/1 0-324	
	314/10 0-182	320/1 0-143	
	314/15 0-081	47 कित 4631=00	
	315/2 0-162	व.जी. 498785	
	317 0-057	व.जी. 46356	
	570/3 0-134	(आवेदन)	
	320/2 0-142		
	324/20 0-210		
	329/1 0-053		

(2) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि काश्तकारी भूमि को गैर-काश्तकारी कामों में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप आप
पर प्रीमियम (प्रव्याजि) 463540 रुपया और जुर्माना रुपया किया जाता है जो आप खजाने में
जमा कर चालान दिनांक 15 दिशा के भीतर या इसके पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करें.

अधीक्षक
विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
कोटा जिला कोटा (छ.प.)

अदालत श्री डी. एस. डाक्टर विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
(परिवर्तित भूमि पर पुनर्निर्धारण, प्रव्याजि तथा जुर्माना का सूचना-पत्र)

नोटिस प्रपत्र "बी"

बनाम
श्री वलपाल सिन्धु आत्मज मित्रसेन सिन्धु निवासी ग्राम दीपका
पट. ह. नं. 21 तहसील कटहोरा जिला कोरबा
(1) आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि पर गैर-काश्तकारी उपयोग में लाये जाने के कारण राजस्व मामला
क्रमांक 121/2/05-06 के अंतर्गत कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी कटहोरा के आदेश दिनांक 22/4/2006 के
अनुसार निम्नलिखित पुनर्निर्धारण (जमा) निर्धारण किया गया है :-

नाम ग्राम मय बन्दोबस्त नम्बर व. ह. नं.	खसरा नम्बर सर्वे नम्बर प्लॉट नम्बर	परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल	अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया संशोधित पुनर्निर्धारण (जमा)
ग्राम - दीपका पट. ह. नं. 21 तहसील - कटहोरा जिला - कोरबा	314/9	0.162	व्यवसायिक प्रयोजन हेतु पुनर्निर्धारण 62626-00 रुपये वर्ष 1-10-05 से निर्धारित किया गया। एवं छवि क्षेत्रफल 2.85 स्क्व निरास किया गया।
	314/16	0.065	
	314/1	0.178	
	314/14	0.445	
	314/6	0.154	
	315/1	0.506	
	(313-314) 2 13	(0.170-0.255)	
	314/2	0.040	
	314/8	0.259	
	314/11	0.146	
	319/2	0.040	
	319/3	0.162	
	319/4	0.065	
	318	0.198	
	409/3	0.623	
	(410/2-411/3)	(0.065-0.049)	
	(410/3-411/2)	(0.032-0.121)	
	404	0.077	
	406	0.194	
	408	0.202	
	409/1	0.255	
	409/2	0.162	
	410/1	0.267	

(2) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि काश्तकारी मामलों में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप आप
पर प्रीमियम (प्रव्याजि) 292722.00 रुपये और जुर्माना रुपये किया जाता है जो आप खजाने में
जमा कर चालान दिनांक 15 दिवस या इसके पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करें.

विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
भू-अभिलेख परि० भूमि
कोरबा, जिला - कोरबा (उ.प्र.)

अदालत श्री जे. पी. सिंह विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
(परिवर्तित भूमि पर पुनर्निर्धारण, प्रब्याजि तथा जुमाना का सूचना-पत्र)

नोटिस प्रपत्र "बी"

बनाम

श्री खुतपाल सिंह आत्मज स्व. मिर्जासैज जाट निवासी ग्राम दीपका
पट. ह. नं. 31 तहसील कटघोड़ा जिला कोरवा

(1) आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि पर गैर-काश्तकारी उपयोग में लाये जाने के कारण राजस्व मामला
शफ-4-34/सातल/2014 ख. नं. 181/5, 181/7, 181/9, 320/1, 98/4, 101/8 के आदेश दिनांक 11-4-14 के
क्रमांक 32/का-2/2013-14 के अंतर्गत कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी काटघोड़ा के आदेश दिनांक 11-4-14 के
अनुसार निम्नलिखित पुनर्निर्धारण (जमा) निर्धारण किया गया है :-

नाम ग्राम मय बन्दोबस्त नम्बर व. ह. नं.	खसरा नम्बर सर्वे नम्बर प्लॉट नम्बर	परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल	अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया संशोधित पुनर्निर्धारण (जमा)
आम-दीपका प. ह. नं. 31 तहसील कटघोड़ा	181/5 181/7 181/9 320/1 98/4 101/8	2-023 2-023 2-023 0-142 0-125 0-077	पुनर्निर्धारण - 83869-00 पर्यावरण उपकर - 4194-00 काटघोड़ा वि. उपकर - 4194-00 प्रीमियम - 649550-00 741807-00
	66/ता	6.413 हे. 16-03 हे. व. नं. 698908 व. नं. 64955 (कोटिगोल)	भू. नं. कमी - 0-62 देय दिनांक 1-10-13



(2) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि काश्तकारी भूमि को गैर-काश्तकारी कामों में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप आप
पर प्रीमियम (प्रब्याजि) 649550-00 रुपया और जुमाना रुपया किया जाता है जो आप खजाने में
जमा कर चालान दिनांक 15 दिनांक के भीतर या इसके पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करें.

अधिकारी
विशेष कर्तव्य अधिकारी, परिवर्तित भूमि
कोरवा जिला कोरवा (उ.प्र.)